डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 09/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 09/ 2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003

जारी करने की तारीख: 24 अगस्त, 2021

सेवा	**: ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	**: मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,**
हवाईअड्डा	**: राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद**

मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए टैरिफ के निर्धारण के मामले में

1. मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स सैलेबी) राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आरजीआईए), हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग (जीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एचआईएएल) द्वारा नियुक्त एक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है। मैसर्स सैलेबी ने 22 मार्च, 2019 को एचआईएएल के साथ ग्राउंड हैंडलिंग सेवा करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दस (10) वर्ष अर्थात 21 मार्च, 2029 तक वैध है। मैसर्स सैलेबी ने 01 अप्रैल, 2019 से हैदराबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के अपने वाणिज्यिक प्रचालन प्रांरभ कर दिए हैं।

2. प्राधिकरण ने दिनांक 13.05.2020 के अपने आदेश संख्या 03/2020-21 द्वारा मैसर्स सैलेबी के संबंध में आरजीआईए, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 'लाइट टच अप्रोच' के तहत दूसरी नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टैरिफ निर्धारित की थी।

3. मैसर्स सैलेबी ने वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत किया। प्राधिकरण सैलेबी, हैदराबाद द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रस्तुत इन दस्तावेजों पर विश्वास करता है।

4. सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स सैलेबी ने 06.04.2021 को तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए आरजीआईए, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ के संशोधन की मांग करते हुए बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत कर दिया है।

अध्याय 1: **''लाइट टच अप्रोच'' के अंतर्गत वैमानिक टैरिफ के निर्धारण संबंधी सिद्धांत**

1.1 प्राधिकरण ने दिनांक 10.01.2011 के अपने आदेश संख्या 12/2010-11 और 10.01.2011 को जारी निदेश संख्या 04/2010-11 द्वारा प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं और विमान में ईंधन की आपूर्ति के आर्थिक विनियमन में विनियामक सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के मामले में अपनी पद्धति को अंतिम रूप दिया था। तदनुसार प्राधिकरण ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा विमान में ईंधन की आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारण करने संबंधी शर्तें एवं निबंधन) दिशा-निर्देश, 2011 (*"दिशा-निर्देश")* जारी किए हैं।

1.2 ऐरा के ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा निदेशों के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

स्तर I: **मटिअरिएलिटी**:

Materiality Index (MIg)

$$= \frac{\textit{Inernational Aircraft Movement at Hyderabad Airport}}{\textit{Total Inernational Aircraft Movement at major airports}} \boldsymbol{X100}$$

The materiality index at RGIA = 25760/438049

= 5.88%

आरजीआईए, हैदराबाद के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ग्राउंड हैंडलिंग का प्रतिशत भाग *5.88%* है, जो उपर्युक्त विषय की सेवा के लिए *5%* मटिअरिएलिटी इंडेक्स (एमआईजी) से अधिक है। अत: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियमित सेवा **'मटिरियल'** समझी जाती है।

स्तर II: **प्रतिस्पर्धा**:

1.3 प्राधिकरण ने दिनांक 12 जनवरी, 2017 के आदेश संख्या 15/2016-17 द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी -2016) के प्रावधानों के संबंध में सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रतिस्पर्धा के मूल्यांकन के लिए एयर इंडिया की सहायक/ संयुक्त उद्यम कंपनियों सहित तीन (3) ग्राउंड हैंडलिंग एंजेसियां मानने का निर्णय लिया। प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन संबंधी फार्म एफ-1(बी) में मैसर्स सैलेबी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार के मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीजीआई) और मैसर्स एयर इंडिया सैट्स (एआईएसएटीएस) नामक दो (2) अन्य सेवा प्रदाता भी आरजीआईए, हैदराबाद में इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अत: इस मामले में आरजीआईए, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाले सैलेबी सहित तीन (03) सेवा प्रदाता हैं और इस कारण से इस सेवा को '**प्रतिस्पर्धी**' माना जाता है।

स्तर III: **मौजूदा प्रयोक्ता करार(रों) का औचित्य**:

1.4 मैसर्स सैलेबी ने 22 मार्च, 2019 को एचआईएएल के साथ ग्राउंड हैंडलिंग सेवा करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दस (10) वर्ष अर्थात 21 मार्च, 2029 तक वैध है।

1.5 मैसर्स सैलेबी ने सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 04 नवम्बर, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरजीआईए, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए हितधारकों के परामर्श के लिए आयोजित बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया है।

1.6 प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए आरजीआईए, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ में संशोधन की मांग संबंधी

बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और दिनांक 04.06.2021 का परामर्श पत्र संख्या 07/2021-22 जारी किया है।

1.7 प्राधिकरण को परामर्श पत्र संख्या 07/2021-22 के संबंध में लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात 25.06.2021 तक किसी भी हितधारक से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

अध्याय *2:* यातायात *(उड़ान संचालन)*

सैलेबी, हैदराबाद की एमवाईटीपी के भाग के रूप में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) पर प्रस्तुति

2.1 मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि *(*वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक*)* के लिए अनुमानित यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानें) नीचे बताए अनुसार है*:*

तलिका 1: मैसर्स सैलेबी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुत अनुमानित यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों की संख्या).

वर्ष	अंतरदेशीय (लैंडिंग)	अंतरराष्ट्रीय (लैंडिंग)	कुल	YoY % Change		
				अंतरदेशीय	अंतरराष्ट्रीय	कुल
2021-22	8,289	899	**9188**	-	-	-
2022-23	12,262	1,228	**13490**	47.93	36.66	**46.83**
2023-24	13,690	1,500	**15190**	11.65	22.12	**12.60**
2024-25	14,796	1,691	**16487**	8.08	12.75	**8.54**
2025-26	15,973	1,726	**17699**	7.96	2.04	**7.35**

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) के संबंध में प्राधिकरण की जांच :

2.2 प्राधिकरण मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए की गई प्रस्तुति के अनुसार यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) में संवृद्धि को मानने का निर्णय लेता है।

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय:

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया है :

2.3 प्राधिकरण मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 1 के अनुसार यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानें) मानने का निर्णय लेता है।

अध्याय 3: *पूंजीगत व्यय*

एमवाईटीपी के भाग के रूप में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में सैलेबी, हैदराबाद की प्रस्तुति।

3.1 एमवाईटीपी प्रस्तुति के अनुसार मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद ने तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से

वित्त वर्ष 2025 -2026) के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों की खरीद के लिए 1311.81 लाख रूपए के कुल पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का अनुमान किया है। मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए परिसपंत्ति-वार अनुमानित पूंजीगत व्यय नीचे दिया गया है:

तालिका 2: मैसर्स सैलेबी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुत अनुमानित पूंजीगत व्यय

राशि (रूपए लाख में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण	-	444.89	298.18	66.46	58.30	**867.83**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	12.38	-	26.90	21.19	-	**60.47**
वाहन	-	-	361.11	-	-	**361.11**
कार्यालय उपकरण	5.50	1.55	-	0.33	11.25	**18.64**
कमप्यूटर	-	-	3.77	-	-	**3.77**
कुल	**17.88**	**446.44**	**689.96**	**87.99**	**69.54**	**1,311.81**

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्राधिकरण की जांच :

3.2 प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 1311.81 लाख रूपए के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय की जांच की और नोट किया कि मैसर्स सैलेबी ने ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर (867.83 लाख रूपए) और वाहनों (361.11 लाख रूपए) की खरीद के लिए 1228.94 लाख रूपए का खर्च वहन करने का प्रस्ताव किया है (देखें उपर्युक्त तालिका 2)। मैसर्स सैलेबी ने यह भी कहा है कि पूंजीगत व्यय तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान आरजीआईए, हैदराबाद में कारोबार की संभावित वृद्धि की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित होगा। इस कारण से प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यथा प्रस्तावित कैपेक्स को मानने का निर्णय लिया।

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय:

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया है:

3.3 प्राधिकरण मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 2 के अनुसार पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है।

अध्याय 4: ***प्रचालन व्यय***

मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद की एमवाईटीपी के भाग के रूप में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन व्यय संबंधी प्रस्तुति

4.1 निदेश संख्या 4/2010-11 में उल्लिखित सीजीएफ दिशा–निर्देश के खंड 9.4 में दिए गए प्रावधान के अनुसार सेवा प्रदाता(ओं) द्वारा वहन किए जाने वाले प्रचालन और अनुरक्षण व्यय में सुरक्षा पर किया गया व्यय, प्रचालन लागत, अन्य अधिदेशित प्रचालन लागत और सांविधिक प्रचालन लागतें शामिल हैं।

4.2 मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

क) पेरोल लागतें;

ख) प्रशासानिक और सामान्य व्यय;

ग) उपयोगिता और बाहरी स्रोत संबंधी लागतें

घ) रियायत शुल्क

ङ) मरम्मत और अनुरक्षण व्यय;

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन व्यय के संबंध में प्राधिकरण की जांच:

4.3 सैलेबी, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत एसीएस (वार्षिक अनुपालन विवरण) के अनुसार प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-2026) के लिए अनुमानित राजस्व और प्रचालन व्यय (ओपेक्स) के साथ-साथ वित्त वर्ष 2019-20 के लेखापरीक्षित आंकड़ो और वित्त वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षा न किए गए आंकड़ो की जांच की, जो नीचे बताए अनुसार हैं:

तालिका 3: मैसर्स सैलेबी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक (वित्त वर्ष 2019-20) और अनुमानित राजस्व तथा प्रचालन व्यय

विवरण	राशि (रूपए लाख में)							CAGR	YoY % Change					
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
राजस्व	**2704.14**	**1543.07**	**2927.22**	**4197.45**	**5137.88**	**5908.42**	**6559.78**	**22.4%**	**-42.9**	**89.7**	**43.4**	**22.4**	**15.0**	**11.0**
प्रचालन व्यय	**2193.62**	**1560.35**	**2549.64**	**3512.24**	**4025.15**	**4489.27**	**4956.57**	**18.1%**	**-28.9**	**63.4**	**37.8**	**14.6**	**11.5**	**10.4**
पेरोल लागत	887.37	689.90	1104.15	1649.19	1924.12	2188.37	2,445.64	**22.0%**	-22.3	60.0	49.4	16.7	13.7	11.8
प्रशासनिक एवं सामान्य लागत	397.35	194.45	350.55	437.61	485.54	537.11	588.92	**13.8%**	-51.1	80.3	24.8	11.0	10.6	9.6
उपयोगिता एवं बाह्य स्रोत संबंधी लागत	206.41	129.09	261.04	355.67	307.22	333.52	357.93	**8.2%**	-37.5	102.2	36.2	-13.6	8.6	7.3
रियायत शुल्क	680.39	525.54	797.31	1015.82	1249.21	1,366.73	1496.33	**17.0%**	-22.8	51.7	27.4	23.0	9.4	9.5
मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत	22.10	21.37	36.59	53.96	59.06	63.54	67.74	**16.6%**	-3.3	71.3	47.5	9.5	7.6	6.6

(* 2019-20 **में लेखापरीक्षित आंकड़े और** # 2020-21 **के लेखा परीक्षा न किए गए आंकड़े**)

4.4 प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यथाप्रस्तावित प्रचालन व्यय का विश्लेषण किया और तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए अनुमानित प्रचालन व्यय में बढ़ोतरी देखी और मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद से स्पष्टीकरण मांगा गया। इस संबंध में मैसर्स सैलेबी ने सूचित किया कि यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) में वृद्धि के परिणामस्वरूप न केवल प्रचालन खर्च में बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे राजस्व भी बढ़ेगा। प्राधिकरण ने नोट किया कि राजस्व में YoY % वृद्धि प्रचालन खर्च की YoY % वृद्धि से अधिक है।

4.5 मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद ने वित्त वर्ष 2019-20 के लाभ और हानि लेखा के लेखा परीक्षित आंकड़े और वित्त वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षा न किए गए आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकरण ने लाभ और हानि लेखा विवरणों के आधार पर नोट किया कि मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद को वित्त वर्ष 2019-20 में 213.87 लाख रूपए का लाभ तथा वित्त वर्ष 2020-21 में 434.19 लाख रूपए की हानि (अनुमानित) हुई है।

4.6 प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत की गई अनुमानित वित्तीय स्थिति के आधार पर नोट किया कि मैसर्स सैलेबी को वित्त वर्ष 2021- 22 में भी 58.91 लाख रूपए की हानि होगी है।

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन व्यय के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन व्यय के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया है:

4.7 प्राधिकरण मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 3 के अनुसार प्रचालन व्यय को मानने का निर्णय लेता है।

अध्याय 5: *वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव*

मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद की एमवाईटीपी के भाग के रूप में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव संबंधी प्रस्तुति।

5.1 मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद ने परामर्श पत्र की तालिका 4 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है (देखें संलग्नक-I)।

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ प्रस्ताव के संबंध में प्राधिकरण की जांच

5.2 प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ प्रस्ताव का विश्लेषण कर नोट किया कि सेवा प्रदाता द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतरदेशीय यात्री उड़ानों के लिए प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि पिछले वर्ष से 10% अधिक है। इसके अतिरिक्त यात्री उड़ानों तथा मालवाहक उड़ानों के संबंध में वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5% वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जो सभी श्रेणियों की यात्री और मालवाहक उड़ानों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए एकसमान 2.5 % सीएजीआर को दर्शाता है।

5.3 प्राधिकरण ने नोट किया कि मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद द्वारा वित्त वर्ष 2021 -22 के लिए अंतरदेशीय यात्री उड़ानों के लिए पिछले वर्ष से 10% टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव किए जाने के बाद भी मैसर्स सैलेबी द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार इस सेवा प्रदाता को वित्त वर्ष 2021-22 में 58.51 लाख रूपए की हानि होगी।

5.4 प्राधिकरण ने 30 अक्तूबर, 2020 को हितधारकों के परामर्श के लिए आयोजित बैठक के 'कार्यवृत्त' के आधार पर अवलोकन किया कि मैसर्स सैलेबी, हैदराबाद ने प्रस्तावित टैरिफ दरें हितधारकों की बैठक में पेश नहीं की।

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ प्रस्ताव के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय

5.5 मैसर्स सैलेबी द्वारा हैदराबाद हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, 2008 (अधिनियम) की धारा 2 (ए) के संदर्भ में वैमानिक सेवाएं हैं। इसलिए प्राधिकरण के लिए अधिनियम की धारा 13(1)(ए) के तहत प्रमुख हवाईअड्डों पर स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/ हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना अपेक्षित है।

5.6 प्राधिकरण मैसर्स सैलेबी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लेता है कि मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद में प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवा "मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी" है। इसलिए प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए ' लाइट टच अप्रोच' अपनाने का निर्णय लिया।

5.7 मैसर्स सैलेबी ने वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत किया है। प्राधिकरण को सैलेबी, हैदराबाद द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रस्तुत किए गए इन दस्तावेजों पर विश्वास है।

5.8 दिनांक 04.06.2021 के परामर्श पत्र संख्या 07/2021-22 में किए गए प्रस्तावों पर मैसर्स सैलेबी सहित किसी भी हितधारक से कोई टिप्पणी/विचार प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से प्राधिकरण यह मानता है कि इस परामर्श पत्र में शामिल प्रस्ताव पर हितधारकों को कोई आपत्ति नहीं है।

5.9 प्राधिकरण विश्लेषण और जांच के आधार पर यह निर्णय लेता है कि अनुमोदित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

5.10 मैसर्स सैलेबी अपने नॉन-शेड्यूल प्रचालनों के लिए टैरिफ दर ऐरा द्वारा समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए अनुमोदित टैरिफ दर से अधिक नहीं करेगा।

<u>आदेश</u>

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री और मैसर्स सैलेबी द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद में प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवा **"मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी"** है। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए **'लाइट टच अप्रोच'** अपनाने का निर्णय लेता है।

(ii) प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए "संलग्लक–I" के अनुसार 1 सितम्बर, 2021 से संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(iii) निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) मैसर्स सैलेबी अपने नॉन-शेड्यूल प्रचालनों के लिए टैरिफ दरों को ऐरा द्वारा समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए अनुमोदित टैरिफ दर से अधिक नहीं करेगा।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें

मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्रा. लि.
कमरा संख्या सीई 01, इंपोंट बिल्डिंग 2, अंतरराष्ट्रीय कॉर्गो टर्मिनल,
आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110 037
(मार्फत : श्री मुरली रामचन्द्रन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

प्रतिलिपि:

i- **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.**

ii- **श्री एस जी किशोर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एचआईएएल**

टैरिफ दर कार्ड

मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – आरजीआईए, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा

तृतीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2021 -22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए शेड्ल्यूड/ नॉन शेड्ल्यूड एयरलाइनों द्वारा अदा की जा जाने वाली अधिकतम दर

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2025-26		
	Pax	Ramp	Full	Pax	Ramp	Full	Pax	Ramp	Full	Pax	Ramp	Full	Pax	Ramp	Full
अंतरदेशीय यात्री उड़ान															
CODE B	4851	11319	16170	4851	11319	16170	5094	11885	16979	5094	11885	16979	5349	12479	17828
CODE C	6402	14938	21340	6402	14938	21340	6722	15685	22407	6722	15685	22407	7058	16469	23527
CODE D	9867	23023	32890	9867	23023	32890	10360	24174	34534	10360	24174	34534	10878	25383	36261
CODE E	22539	52591	75130	22539	52591	75130	23666	55221	78887	23666	55221	78887	24849	57982	82831
CODE F	33264	77616	110880	33264	77616	110880	34927	81497	116424	34927	81497	116424	36673	85572	122245
अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान															
CODE B	11730	27370	39100	11730	27370	39100	12317	28739	41056	12317	28739	41056	12933	30176	43109
CODE C	27510	64190	91700	27510	64190	91700	28886	67400	96286	28886	67400	96286	30330	70770	101100
CODE D	44820	104580	149400	44820	104580	149400	47061	109809	156870	47061	109809	156870	49414	115299	164713
CODE E	58710	136990	195700	58710	136990	195700	61646	143840	205486	61646	143840	205486	64728	151032	215760
CODE F	81870	191030	272900	81870	191030	272900	85964	200582	286546	85964	200582	286546	90262	210611	300873
अंतरदेशीय मालवाहक उड़ान															
CODE C	NA	54000	NA	NA	54000	NA	NA	56700	NA	NA	56700	NA	NA	59535	NA
CODE D	NA	94000	NA	NA	94000	NA	NA	98700	NA	NA	98700	NA	NA	103635	NA
CODE E	NA	113000	NA	NA	113000	NA	NA	118650	NA	NA	118650	NA	NA	124583	NA
CODE F	NA	154000	NA	NA	154000	NA	NA	161700	NA	NA	161700	NA	NA	169785	NA
अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ान															
CODE C	NA	133000	NA	NA	133000	NA	NA	139650	NA	NA	139650	NA	NA	146633	NA
CODE D	NA	160000	NA	NA	160000	NA	NA	168000	NA	NA	168000	NA	NA	176400	NA
CODE E	NA	195000	NA	NA	195000	NA	NA	204750	NA	NA	204750	NA	NA	214988	NA
CODE F	NA	287000	NA	NA	287000	NA	NA	301350	NA	NA	301350	NA	NA	316418	NA

नोट : उपर्युक्त टैरिफ दरों में लागू सभी कर शामिल नहीं है।